(2025) 5 ILRA 1899
APPELLATE JURISDICTION
CRIMINAL SIDE
DATED: ALLAHABAD 30.05.2025

BEFORE

THE HON'BLE SIDDHARTHA VARMA, J.
THE HON'BLE MADAN PAL SINGH, J.

Criminal Appeal No. 74 of 2020

Vinod Patel ...Appellant
Versus
State of U.P. ...Respondent

Counsel for the Appellant:
Alok Kumar Kushwaha, Amit Kumar Pandey, Rabindra Bahadur Singh

Counsel for the Respondent:
G.A.

A. Criminal matter-Indian Penal Code,1860- Section 302-Criminal Procedure Code, 1973-Section 374 (2)-Challenge to-Conviction-deceased died by burning in her matrimonial home-The deceased had a love marriage with the accused-The prosecution failed to establish any motive or prior incident of quarrel-No eye witness or documentary evidence was produced by the prosecution to establish that the deceased was murdered-PW1, PW2, PW3, PW4, PW5 did not support the prosecution as all witnesses were relatives of the deceased who did not witness the incident themselves-The main witness, Rita (Jethani) was not examined-Medical report did not support the prosecution version as the cause of death attributed to shock and extensive burning-The Court relied on the precedent Sharad Birdhichand Sarda Vs. St. of Mah. which emphasized that in case of circumstantial evidence, all circumstances must be conclusively proven to establish guilt-Thus, the prosecution failed to prove the case beyond reasonable doubt. (Para 1 to 38)

B. It is well-settled that Section 106 of the Evidence Act does not directly operate against either a husband or wife staying under the same roof and being the last person seen with the deceased. Section 106 of the Evidence Act does not absolve the prosecution of discharging its primary burden of proving the prosecution case beyond reasonable doubt. It is only when the prosecution has led evidence which, if believed, will sustain a conviction, or which makes out a prima facie case, that the question arises of considering facts of which the burden of proof would lie upon the accused. (Para 27)

The appeal is allowed. (E-6)

List of Cases cited:

1. Sharad Birdhichand Sarda Vs St. of Mah. reported in (1984) 4 SCC 116

2. St. of M.P. Vs Balweer Singh (2025) SCC Online SC 390

3. Nagendra Shah Vs St. of Bih.

4. Shivaji Chintappa Patil Vs St of Mah. (2021) AIR SC 1249 (AIR Online 2021 SC 97

5. Mangat Ram Vs St. of Har. (2014) AIR SC 1782

(Delivered by Hon'ble Madan Pal Singh, J.)

प्रारम्भिकः-

1- वर्तमान अपील अपीलार्थी विनोद पटेल द्वारा सत्र परीक्षण संख्या 36/2018 में अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या-7, वाराणसी द्वारा पारित आदेश दिनाँकित 14.11.2019 के विरूद्ध योजित की गयी है, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी को मु०अ०सं० 604/2017, अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं०, थाना चोलापुर, जनपद वाराणसी में दोषसिद्ध करते हुए आजीवन कारावास व 25,000/- रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया है तथा जुर्माना न अदा करने की स्थिति में अभियुक्त को एक वर्ष का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया है।

अभियोजन केसः-

2- संक्षेप में इस अपील के निस्तारण के लिए ससुंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि इस मुकदमें के वादी कैलाश द्वारा दिनाँक 04.08.2017 को एक लिखित तहरीर प्रदर्श क-1 थानाध्यक्ष चोलापुर, वाराणसी को इस आशय के साथ प्रस्तुत की थी कि प्रार्थी ने अपनी लड़की अंजू की शादी करीब 5-6 वर्ष पहले विनोद पटेल पुत्र स्वर्गीय प्यारेलाल ग्राम दशनीपुर थाना चोलापुर, वाराणसी के साथ की थी। शादी के बाद विवाहिता मृतका को अतिरिक्त दहेज के लिए वह बहुत मारता-पीटता था। दिनाँक 03.08.2017 को उसकी बेटी को जान से मारने की नीयत से आग लगा दी जिससे उसकी बेटी की हालत गम्भीर होने पर कबीर चौराहा अस्पताल ले गए जहां उसकी मृत्यु हो गयी, विनोद घर से फरार है। सायं 4.00 बजे जब पता चला तो दिनाँक 04.08.2017 को रिपोर्ट लिखवाने आए हैं।

3- वादी की उपरोक्त तहरीर प्रदर्श क-1 के आधार पर अपीलार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498-ए, 304-बी भा०दं०सं० तथा धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम1961 के अधीन मुकदमा पंजीकृत हुआ जिसकी चिक एफ०आइ०आर० प्रदर्श क-2 के रूप में पत्रावली पर उपलब्ध है। मामले के विवेचक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया तथा पंचायतनामा की कार्यवाही करते हुए मृतका शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। नक्शा-नजरी, पंचनामा व पोस्टमार्टम पत्रावली पर क्रमशः क-10, क-4 व क-9 के रूप में उपलब्ध है। विवेचक ने गवाहों के बयान दर्ज करके व अन्य औपचारिकताएं पूरी करते हुए अभियुक्त विनोद पटेल के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाते हुए आरोप-पत्र अन्तर्गत धारा 498-ए, 302 भा०दं०सं व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनिमय में प्रेषित किया। सम्बन्धित मजिस्ट्रेट द्वारा विवेचक द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र पर दिनाँक 12.01.2018 को संज्ञान लिया तथा धारा 207 दं०प्र०सं० की सभी औपचारिकताएं पूरी करते हुए पत्रावली दिनांक 25.01.2018 को सत्र न्यायालय को विचारण हेतु सुपूर्द कर दिया। विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 20.03.2018 को अभियुक्त/अपीलार्थी विनोद पटेल के विरूद्ध धारा 498-ए, 302 भा०दं०सं एवं धारा 4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप विरचित किया। आरोप अभियुक्त को पढ़कर सुनाये गये जिस पर अभियुक्त ने आरोपों का खण्डन करते हुए विचारण की माँग की।

अभियोजन साक्षीः-

4- अभियुक्त के विरूद्ध लगाए गए आरोपों को साबित करने के लिए अभियोजन के द्वारा तथ्य के साक्षी के रूप में पी०डब्ल्यू०-1 वादी कैलाश, पी०डब्ल्यू०-2 मृतका की माँ विमला देवी, पी०डब्ल्य०-03 मृतका का भाई गुड्डू पटेल तथा पी०डब्ल्यू०-04 के रूप में प्रीती (मृतका की बहन) तथा औपचारिक साक्षी के रूप में पी०डब्ल्यू०-05 कांस्टेबल प्रमोद कुमार मौर्य, पी०डब्ल्यू०-06 नायब तहसीलदार आनन्द कुमार कन्नौजिया, पी०डब्लू०-07 डॉ० पी०के० भारती, पी०डब्लयू०-8 क्षेत्राधिकारी अभिनव यादव, पी०डब्ल्यू०-9 इस घटना के विवेचक विनय प्रकाश सिंह को परीक्षित कराया गया।

5- विचारण के दौरान अभियोजन में निम्न दस्तावेजी साक्ष्यों को निम्न प्रदर्शों के रूप में साबित कराया गयाः-

साक्ष्य	प्रदर्श
लिखित तहरीर	क-1
चिक एफ०आइ०आर०	क-2
जी०डी० मुकदमा कायमी	क-3
पंचायतनामा	क-4
चिट्ठी आर०आई० सी०एम०ओ०	क-5
चिट्ठी मुख्य चिकित्साधिकारी	क-6
पुलिस प्रपत्र फार्म	क-7
पुलिस प्रपत्र सं०-13	क-8
पोस्टमार्टम	क-9
नक्शा-नजरी	क-10
आरोप-पत्र	क-11

6- अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त के बयान अन्तर्गत धारा 313 दं०प्र०सं० अंकित किये गये जिसमें अभियुक्त ने स्वयं को निर्दोष बताया एवं विशेष रूप से यह कहा है कि घटना के समय वह काम पर गया था, उसकी भाभी ने फोन करके सूचना दी थी, तब मैं कबीर चौराहा अस्पताल गया और दवा करायी जहाँ उसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी।

7- हमने अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन किया।

8- हमारे विचार में साक्ष्य का मूल्याँकन करके किसी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले, अभियोजन के द्वारा प्रस्तुत साक्षियों के साक्ष्य का उल्लेख किया जाना उचित प्रतीत होता है।

9- पी०डब्ल्यू०-01 के रूप में इस घटना के वादी कैलाश को परीक्षित कराया गया जिसने अपनी मुख्य परीक्षा के रूप में मुख्य रूप से यह कहा है कि उसने अपनी लड़की की शादी विनोद पटेल के साथ वर्ष 2009 में की थी। शादी में कोई दहेज की माँग नहीं की गयी थी। विनोद पटेल मेरी लड़की को मारता-पीटता नहीं था बाद में मारता-पीटता था। मेरी लड़की के ऊपर मिट्टी का तेल छिड़के थे मैं नहीं बता सकता क्योंकि मैं बहुत दूर था। उसकी लड़की को मारने-पीटने से गम्भीर चोटे आई हैं। विनोद के घरवाले उसकी लड़की को अस्पताल ले जाकर भर्ती कराये हैं। विनोद घर से भाग गया। अस्पताल में अगले दिन उसकी लड़की की मृत्यु हो गयी। इस साक्षी ने अपने द्वारा प्रस्तुत तहरीर पर अपने हस्ताक्षर की शिनाख्त की तथा तहरीर को प्रदर्श क-1 के रूप में साबित किया है।

10- पी०डब्ल्यू०-2 के रूप में अभियोजन द्वारा साक्षी विमला देवी को परीक्षित कराया है जिसमें उसने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कहा है कि मेरी लड़की अंजू की शादी विनोद पटेल के साथ 8-9 वर्ष पहले हुई थी, शादी के बाद विनोद उसकी लड़की को मारता-पीटता था, विनोद दूसरी लड़की से प्यार करता था एवं अंजू के मना करने पर उसे मारता-पीटता था और उसे प्रताड़ित करता था। साक्षी ने यह भी कहा है कि मेरी लड़की को विनोद ने जलाकर मार डाला, विनोद दूसरी शादी करने की धमकी दे रहा था, विनोद पटेल मेरी लड़की को 8-9-10 वर्ष पहले भगाकर ले गया था, मेरी लड़की के दो बच्चे हैं। जब मेरी लड़की जल गई तब वह कबीर चौराहा अस्पताल गया जहां पर उसकी लड़की की मृत्यु हो गयी।

11- पी०डब्लयू०-03 के रूप में अभियोजन के द्वारा गुड्डू पटेल को परीक्षित कराया गया है जिसने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसकी बड़ी बहन अंजू की मृत्यु हो गयी है। अंजू की शादी अभियुक्त विनोद पटेल के साथ 10 वर्ष पहले हुई थी। वह नहीं बता सकती कि उसकी बहन किस तरह से मरी, विनोद पटेल ने उसकी हत्या की या नहीं उसे जानकारी नहीं है।

12- पी०डब्ल्यू०-4 के रूप में अभियोजन द्वारा प्रीती को परीक्षित कराया है उसने भी लगभग ऐसा ही बयान अपनी मुख्य परीक्षा में दिया है जैसाकि उसके भाई (पी०डब्ल्यू०-03) ने दिया है। उसने मुख्य रूप से अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उसकी बहन विनोद पटेल के साथ बाहर चली गयी थी जब वह लौटी तो उसने शादी कर ली, उसकी बहन के दो बच्चे पैदा हुए जिसमें से एक लड़की आठ वर्ष एवं लड़का पाँच वर्ष का है, उसकी बहन कैसे मरी उसे इसकी जानकारी नहीं है, उसे बाद में पता चला कि विनोद पटेल अंजू को किसी दूसरी लड़की के चक्कर में मारता-पीटता था इसलिए उसने उसे जलाकर मार दिया है।

13- पी०डब्ल्यू०-05 के रूप में कांस्टेबल 3995 प्रमोद कुमार मौर्य को परीक्षित कराया गया है जिसने अपने साक्ष्य के रूप में कहा है कि दिनाँक 04.08.2017 को थाना चोलापुर में कांस्टेबल मुहर्रिर के पद पर तैनात था, उस दिन वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र उसके द्वारा बोल-बोल कर सी०सी०टी०एन०एस० कांस्टेबल रत्नेश कुमार पाण्डेय द्वारा कम्प्यूटर में फीड कराया गया। इस साक्षी ने चिक एफ०आइ०आर कागज संख्या 4अ/1 लगायत 4अ/3 मार्क करते हुए प्रदर्श क-2 के रूप में साबित किया तथा जी०डी० मुकदमा कायमी कागज सं० 6अ/3 को प्रदर्श क-3 के रूप में साबित किया है।

14- पी०डब्ल्यू-06 के रूप में अभियोजन द्वारा आनन्द कन्नौजिया जोकि नायब तहसीलदार के रूप में सदर तहसील में उपस्थित थे, उन्होंने अपनी मुख्य परीक्षा में कहा है कि उनके द्वारा पंचायतनामा व नकल रपट संख्या 20 समय 10.25 बजे दिनाँक 04.08.2017 को करीब 5.45 पर उन्हें सूचना प्राप्त हुई। सूचना पर वह, आरक्षी 2144 धर्मेन्द्र के साथ मौके पर गये और उन्होंने पंचान नियुक्त करके मृतका का पंचायतनामा तैयार किया और पंचान की राय के अनुसार मृतका के शरीर पर आई चोटों का उल्लेख करते हुए पंचान राय लिखी गयी तथा पंचायतनामा तैयार किया गया जोकि कागज संख्या 10अ/1 लगायत 10अ/2 पत्रावली पर मौजूद है जिसे उसने प्रदर्श क-4 के रूप में साबित किया है तथा शव को पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया। साक्षी ने चिट्ठी थाना प्रभारी को प्रदर्श क-5, मुख्य चिकित्साधिकारी क-6 तथा मृतका की फोटो लाश क-7के रूप में साबित किया है।

15- पी०डब्ल्यू०-07 के रूप डॉ० पी०के० भारती को परीक्षित कराया गया जिसने अपने बयान में कहा है कि मुख्य चिकित्साधिकारी के आदेश से उनकी ड्यूटी पोस्टमार्टम के लिए हुई थी। उक्त दिनांक को सायं 4.00 बजे मृतका अंजू देवी पत्नी विनोद पटेल निवासी ग्राम सोनखे, थाना चोलापुर बनारस के शव का पोस्टमार्टम किया। पोस्टमार्टम के दौरान बाह्य परीक्षण किया- मृतका के पूरे शरीर पर अकड़न मौजूद थी, आंखे बन्द थी, मुंह अधखुला था, जीभ तथा नाखून एन०ए०डी० व प्राकृति द्वार भी एन०ए०डी०,

Anti-mortem इंजरी Dermo epidermal Extensive burn इंजरी पूरे शरीर पर थी सिवाय सिर के ऊपरी हिस्से एवं दोनों पैरों के निचले हिस्से को छोड़कर। आन्तिरक परीक्षण- ब्रेन की झिल्लियाँ कन्जेस्टेड थी, वजन 1203 ग्राम। दाँत 16-16 मौजूद थे। सांस की नली में कार्बन के पार्टीकल्स मौजूद पाए गए। दोनों साइड के फेफड़े वजन क्रमशः 435 ग्राम व 410 ग्राम प्लूरा कन्जेस्टेड पाए गए। पेरीकार्डियम कन्जेस्टेड था हृदय का वजन 250 ग्राम एवं चैम्बर फुल था। पेरीटोनिअम कन्जेस्टेड था। आमाशय में 200 मिली. पानी था एवं अधपचा चावल पाया गया। म्यूकस मेम्ब्रेन नार्मल थी। छोटी आँत में पचा हुआ भोजन एवं गैस थी। लीवर कन्जेस्टेड था जिसका वजन 1195 ग्राम था। गालब्लैडर आधा भरा था। स्पलीन कन्जेस्टेड था जिसका वजन 102 ग्राम था। किडनी कन्जेस्टेड पायी गयी। यूट्रस खाली था। इस साक्षी ने मृतका की मृत्यु का कारण सदमे एवं अधिक जल जाने से आई चोटों के कारण बताया तथा पोस्टमार्टम को प्रदर्श क-9 के रूप में साबित किया है।

16- पी०डब्ल्यू०-8 के रूप में अभियोजन में साक्षी अभिनव यादव को परीक्षित कराया है जिसने शुरुआती जाँच करने के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध धारा 304-बी, 498-ए व धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत कोई साक्ष्य नहीं पाते हुए, मृतका की मृत्यु जलने के कारण मामले को मृतका की हत्या के रूप में पाते हुए विवेचना एस०एच०ओ० चोलापुर को दे दी थी। इस साक्षी ने नक्शा-नजरी प्रदर्श क-10 के रूप में साबित किया है।

17- पी०डब्ल्यू०-09 के रूप में अभियोजन साक्षी विनय प्रकाश सिंह जो इस मामले के विवेचक है को परीक्षित कराया है, उन्होंने अपने बयानों में अपने द्वारा भिन्न-भिन्न तिथियों में जो विवेचना की है उसका ब्यौरा बताया है तथा अभियुक्त के विरूद्ध धारा 498-ए, 302 भा०दं०सं एवं धारा ¾ दहेज प्रतिषेध अधिनियम का आरोप-पत्र प्रेषित किया है जिसे उन्होंने प्रदर्श क-11 के रूप में साबित किया है।

प्रतिरक्षा साक्ष्यः-

18- अभियोजन की ओर से न तो कोई साक्षी मौखिक रूप से परीक्षित कराया गया है न ही कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है।

19- अपीलार्थी की ओर से मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किये गये कि विचारण न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के विरूद्ध था, प्राकृतिक न्याय के विरूद्ध है। पी०डब्ल्यू०-05 ने घटना का समर्थन नहीं किया है न ही चिकित्सीय आख्या ने घटना का समर्थन किया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं है जिससे यह साबित हो सके कि मृतका की हत्या की गयी है। अतः याचना की गयी कि अभियुक्त की अपील को स्वीकार करते हुए विचारण न्यायालय के आदेश एवं निर्णय दिनांक 14.11.2019 को अपास्त किया जाए।

तर्क अभियोजनः-

20- विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि मृतका की मृत्यु जलने से उसके ससुराल वाले घर में अपने पति की अभिरक्षा में हुई है, अतः धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार अभियुक्त को यह बताना होगा कि मृतका की मृत्यु कैसे हुई, अतः अवर न्यायालय द्वारा लिया गया निष्कर्ष भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में के अनुसार पूर्णतः सही है जिसमें अपीलीय हस्तक्षेप किये जाने की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलार्थी की निरस्त की जाए।

विश्लेषणः-

21- उपरोक्त तर्कों के समर्थन में हमने पत्रावली पर आए साक्ष्यों का सूक्ष्मतः से अवलोकन किया। यह स्वीकृत तथ्य है कि इस घटना का कोई चश्मदीद साक्षी नहीं है जो भी तथ्य के साक्षी के कैलाश, विमला देवी गुड्डु पटेल व प्रीती को क्रमशः पी०डब्ल्यू० 01, 02, 03, 04 के रूप में परीक्षित कराया गया है उन्होंने घटना अपनी आंखों से नहीं देखी है क्योंकि वे मृतका के मायके वाले परिवार से सम्बन्धित हैं इसलिए उनका घटना के समय मृतका के ससुराल वाले घर में रहकर घटना को देखना स्वाभाविक भी नहीं है। साक्षियों ने खुद भी अपने साक्ष्यों में स्वीकार किया है कि वे घटनास्थल पर नहीं थे। अतः हमारे विचार में वर्तमान मामला पूर्णतः परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है। पी०डब्ल्यू०-3 व 4 पक्षद्रोही हो गये हैं, अतः उनके साक्ष्य का विश्लेषण किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

22- परिस्थितिजन्य साक्ष्य के रूप में विधि-व्यवस्था **Sharad Birdhichand Sarda vs. State of Maharashtra reported in (1984) 4 SCC 116** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पाँच स्वर्णिम सिद्धान्त प्रतिपादित करते हुए यह कहा है कि परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में निम्न शर्तें आवश्यक रूप से पूरी हो जानी चाहिएः-

"1. The circumstances from which the conclusion of guilt is to be drawn must be fully established.

2. The facts established should be consistent with the hypothesis of the guilt of the accused.

3. The circumstances should be of a conclusive nature and tendency.

4. They should exclude every possible hypothesis except the one to be proved.

5.There must be a chain of evidence so complete as not to leave any reasonable ground for the conclusion consistent with the innocence of the accused and must show that within all human probability, the act must have been done by the accused."

23- यदि वर्तमान मामले में आए साक्ष्य का अवलोकन किया जाए तो अवर न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि अवर न्यायालय ने अभियुक्त को मात्र धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में ही धारा 302 भा०दं०सं के अपराध में दोषसिद्ध किया है। अतः सर्वप्रथम हमारे विचार से धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान तथा धारा 106 से सम्बन्धित विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख करना समीचीन होगा जो इस प्रकार हैः-

24- विशेषतः ज्ञात तथ्यों को साबित करने का भार-- जबकि कोई तथ्य विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तब उस तथ्य को साबित करने का भार उस पर है।

दृष्टान्त

ख पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था उस पर है।

25- विधि व्यवस्था **मध्य प्रदेश राज्य बनाम बलवीर सिंह 2025 एस०सी०सी० आनलाइन एस०सी० 390** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधानों के सम्बन्ध में यह अभिमत व्यक्त किया है कि इस धारा का सहारा दोषसिद्ध करने के लिए तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक कि अभियोजन ने तथ्यों को साबित करने के अपने प्रारम्भिक भार के दायित्व का उन्मोचन न कर दिया हो।

"This section cannot be used to support a conviction unless the prosecution has discharged the onus by proving all the elements necessary to establish the offence. It does not absolve the prosecution from the duty of proving that a crime was committed even though it is a matter specifically within the knowledge of the accused and it does not throw the burden on the accused to show that no crime was committed."

26- एक अन्य विधि व्यवस्था **नागेन्द्र शाह बनाम बिहार राज्य निर्णीत दिनांकित 14.9.2021** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह भी अभिमत दिया है कि

"Section 106 is an exception to section 101. Section 101 lays down the general rule about the burden of proof. "Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist". Illustration (a) says- "A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime". This lays down the general rule that in a criminal case the burden of proof is on the prosecution and section 106 is certainly not intended to relieve it of that duty. On the contrary, it is designed to meet certain exceptional cases in which it would be impossible, or at any rate disproportionately difficult, for the prosecution to establish facts which are "especially" within the knowledge of the accused and which he could prove without difficulty or inconvenience. The word "especially" stresses that. It means facts that are pre-eminently or exceptionally within his knowledge."

27- एक अन्य विधि-व्यवस्था **शिवाजी चिंतप्पा पाटिल बनाम महाराष्ट्र राज्य ए०आई०आर० 2021 सुप्रीम कोर्ट 1249 ए०आई०आर० ऑनलाइन 2021 एस०सी० 97** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह भी अभिमत दिया है कि

"It could thus be seen, that it is well-settled that Section 106 of the Evidence Act does not directly operate against either a husband or wife staying under the same roof and being the last person seen with the deceased. Section 106 of the Evidence Act does not absolve the prosecution of discharging its primary burden of proving the prosecution case beyond reasonable doubt. It is only when the prosecution has led evidence which, if believed, will sustain a conviction, or which makes out a prima facie case, that the question arises of considering facts of which the burden of proof would lie upon the accused".

28- उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं के प्रकाश में वर्तमान मामले के तथ्यों और साक्ष्यों का अवलोकन किया जाए तो अभियोजन को अपने ऊपर सबूत के प्रारम्भिक भार के दायित्व के उन्मोचन से छूट प्राप्त नहीं होगी। यानी अभियोजन को उन सभी साक्ष्यों को न्यायालय में प्रस्तुत करना होगा जो अभियुक्त के दोषी होने का इशारा करते हों और उन साक्ष्यों को अभियोजन आसानी से प्रस्तुत कर सकता हो। वर्तमान मामले में अभियोजन द्वारा ऐसा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया जिसने अपने साक्ष्य में इस तथ्य का कथन किया हो कि घटना वाले दिन घटनास्थल पर घटना के समय अभियुक्त मौजूद था अथवा अभियुक्त/अपीलार्थी विनोद पटेल को घटना करने के कुछ समय पूर्व अथवा पश्चात घटनास्थल पर देखा गया हो, इस तथ्य को साबित करने के लिए भी कि, अभियुक्त घटना कारित करके घटनास्थल से भागते हुए देखा गया था, कोई साक्षी अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया है ताकि इस बात का निष्कर्ष निकाला जा सके कि घटना के समय घर में अभियुक्त ही एकमात्र व्यक्ति मौजूद था और घटना को उसी के द्वारा अंजाम दिया गया हो।

29- उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में जो विधिक अभिमत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिया गया है उसके अनुसार धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम का सहारा केवल उन मामलों में अभियुक्त को दोषसिद्ध करने के लिए लिया जा सकता है जिनमें कोई तथ्य अपवादिक रूप से अभियुक्त के ज्ञान में हो और सिवाय अभियुक्त के किसी अन्य के ज्ञान में उस तथ्य के होने की कल्पना भी न रही हो।

30- पी०डब्लयू०-01 जोकि घटना का वादी है तथा पी0डब्ल्यू0-02 जो मृतका की माँ है ने भी अपने साक्ष्य में यह कहा है कि मृतका को विनोद पटेल के परिवारवालों ने अस्पताल में भर्ती कराया था, पी0डबल्यू0-01 ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह बात भी कही है कि उसे घटना की सूचना विनोद पटेल की माँ ने सुबह 5.00 बजे दी थी, घटनास्थल पोखरे के पास था जहाँ वे लोग रहते थे। पंचायतनामे के अवलोकन से भी यह स्पष्ट होता है कि मृतका की जेठानी रीता द्वारा मृतका को जली अवस्था में कबीर चौराहा अस्पताल में भर्ती कराया गया था। अतः अभियोजन साक्षियों के उपरोक्त साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि मृतका के ससुराल वाले अन्य लोग भी उस घर में निवास करते थे अतः ऐसी स्थिति में जहां मृतका, उसका पति, उसके बच्चे, सास तथा जेठानी व अन्य परिवारजन रहते हों और घटना को कोई चक्षुदर्शी साक्षी न हो तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 106 के आधार पर मात्र अभियुक्त के विरूद्ध मृतका की हत्या किये जाने की उपधारणा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गयी उपरोक्त विधि व्यवस्थाओं में दिये गये अभिमत के विरूद्ध होगी। यह सामान्य प्रज्ञा का प्रश्न है कि घर में कोई घटना हो जाने पर उस घर के पुरुष सदस्य घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल ले जाते हैं तथा उस घटना के सम्बन्ध में समस्त कार्यवाहियाँ भी लगभग भारतीय परिवेश में पुरुष सदस्यों द्वारा ही की जाती हैं परन्तु वर्तमान मामले में मृतका को जली हालत में उसकी जेठानी रीता द्वारा कबीर चौराहा अस्पताल में भर्ती कराया गया जैसाकि पत्रावली पर मौजूद पंचायतनामे के अवलोकन से स्पष्ट होता है। अभियुक्त विनोद पटेल ने अपने बयान अंतर्गत धारा 313 दं0प्र0सं0 में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए यह कहा है कि वह घटना के समय अपने काम पर था उसकी भाभी ने उसे फोन पर सूचना दी थी तब वह कबीर चौराहा अस्पताल गया और दवा कराया जहाँ उसकी पत्नी की मृत्यु हो गयी। अभियुक्त के उपरोक्त स्पष्टीकरण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता है कि वह वास्तव में घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद ही नहीं था क्योंकि यदि वह वहाँ मौजूद होता तो या तो स्वयं उसके द्वारा या परिवार के किसी अन्य पुरुष सदस्य द्वारा मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया जाता और घर की किसी स्त्री को, मृतका को अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता न होती। अतः मृतका की जेठानी के द्वारा मृतका को अस्पताल में भर्ती कराया जाना, अभियुक्त के इस स्पष्टीकरण को समर्थन देता है कि वह घटना के समय घटनास्थल पर मौजूद नहीं था बल्कि उसे घटना की जानकारी उसकी भाभी के द्वारा फोन के माध्यम से प्राप्त हुई।

31- यहाँ यह भी उल्लेखनीय होगा कि घटनास्थल से कोई मिट्टी के तेल की कैन अथवा माचिस अथवा जल जाने का सामान

बरामद नहीं हुआ है जैसाकि इस वाद के प्राथमिक विवेचक अभिनव यादव द्वारा अपनी परीक्षा में स्वीकार किया गया है जिससे घटनास्थल के बारे में भी संदेह उत्पन्न होता है। विद्वान अवर न्यायालय ने अपने निर्णय ने निर्णय के पृष्ठ संख्या 5 पर यह अभिमत व्यक्त किया है **"क्योंकि यदि एक महिला के साथ ऐसी घटना घटती है तो घटना में स्वाभाविक प्रयुक्त होने वाला मिट्टी के तेल का पात्र, माचिस की तिल्ली या आग लगाए जाने का सामान किन परिस्थितियों में वहाँ नहीं था इसको स्पष्ट करने की एकमात्र जिम्मेदारी अभियुक्त पर थी"** जैसाकि विवेचक ने अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि घटनास्थल पर कोई मिट्टी के तेल का पात्र, माचिस अथवा आग लगाए जाने का सामान नहीं मिला उससे हमारे विचार में अभियोजन द्वारा कथित घटनास्थल के सम्बन्ध में संदेह उत्पन्न होता है न कि आग लगाए जाने वाले सामान का मौके पर न मिलने से इस बात का निष्कर्ष निकलता है कि अगर ऐसा सामान मौके पर नहीं पाया गया तो उसके सम्बन्ध में स्थिति स्पष्ट करने की जिम्मेदारी अभियुक्त की होगी। हमारे विचार में विद्वान अवर न्यायालय ने स्थापित विधिक सिद्धान्तों के विरूद्ध जाकर अभियुक्त पर अपनी निर्दोषिता साबित करने का भार डाल दिया है जो स्थापित आपराधिक विधिक सिद्धान्तों के विपरीत है बल्कि अभियुक्त के विरूद्ध समस्त आरोपों को युक्तियुक्त संदेह से परे साबित करने का भार अभियोजन का है और संदेह की स्थिति में इसका लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाएगा।

32- मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित है अतः ऐसे मामलों में हेतुक एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है जहां तक पत्रावली पर आए साक्ष्य के अवलोकन से हेतुक के सम्बन्ध में आए साक्ष्य का प्रश्न है तो हेतुक के सम्बन्ध में वादी ने ऐसा कोई कथन अपनी तहरीर में उल्लिखित नहीं किया है कि अभियुक्त के द्वारा मृतका की हत्या करने का कोई अमुक हेतुक रहा था और न ही उसने अपने सशपथ में दिये गए बयानों में ऐसा कोई हेतुक बताया है। हांलाकि पी०डब्लयू०-2 जो मृतका की माँ है ने अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि विनोद पटेल दूसरी लड़की से प्यार करता था इसलिए वह मृतका के साथ मार-पीट करता था और वह दूसरी लड़की के साथ शादी करने की धमकी दे रहा था इसलिए उसने मृतका को जलाकर मार डाला।

33- जहाँ तक अभियोजन के द्वारा हेतुक साबित करने का प्रश्न है तो, हेतुक के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर दाखिल नहीं किया गया जिससे अभियुक्त का किसी अन्य महिला के साथ किसी भी प्रकार का सम्बन्ध साबित होता हो जैसेकि उस कथित महिला के साथ अभियुक्त का कोई पत्राचार, कथित महिला के द्वारा अथवा अभियुक्त के द्वारा एक-दूसरे को लिखे गए कोई पत्र आदि या मोबाइल के माध्यम से अभियुक्त तथा कथित महिला के साथ की गयी किसी बातचीत के अंश या अभियुक्त के उस महिला के साथ कोई फोटोग्राफ आदि पत्रावली पर दाखिल नहीं किये गये हैं, जिससे प्रथमदृष्टया इस बात का निष्कर्ष निकाला जा सके कि वास्तव में अभियुक्त किसी अन्य महिला के सम्पर्क में था और इसी कारण अपीलार्थी अपनी पत्नी से छुटकारा पाना चाहता था और उसने अपनी पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए उसे जलाकर मार डाला। यहां इस बात का उल्लेख करना भी महत्वपूर्ण प्रतीत होता है कि यदि अभियुक्त का किसी अन्य महिला के साथ प्रेम सम्बन्ध था और उसकी पत्नी इस बात का विरोध करती थी तो इस तथ्य की जानकारी निश्चित रूप से मृतका के माता-पिता या करीबी परिवारवालों को हो गई होती और इस बात का उल्लेख वादी ने अपनी तहरीर में इस आशय से किया होता कि अभियुक्त किसी अन्य महिला से सम्बन्ध रखता था और इसी कारण उसने मृतका की जलाकर हत्या कर दी। अभियुक्त का किसी महिला से सम्बन्ध होना एक महत्वपूर्ण तथ्य है जिसका तहरीर में लिखा जाना आवश्यक था क्योंकि यही तथ्य मृतका की हत्या करने का एक मात्र आधार था और यदि वह तथ्य वादी ने तहरीर में भी नहीं लिखा था तो कम-से-कम वादी को अपने सशपथ बयान में न्यायालय के समक्ष यह बात बतानी थी कि अभियुक्त के द्वारा मृतका की हत्या किये जाने का एकमात्र कारण उसका किसी अन्य महिला के साथ अनैतिक सम्बन्ध था, परन्तु ऐसा कोई कथन वादी ने अपनी मुख्य परीक्षा में भी न्यायालय के समक्ष नहीं किया है। अतः हमारे विचार में पी०डब्लयू०-2 विमला देवी के द्वारा अपने सशपथ साक्ष्य में अभियुक्त का किसी महिला के साथ सम्बन्ध होने का जो कथन किया गया है वह आधारहीन है और इम्प्रूवमेंट (सुधार) की श्रेणी में आता है जो किसी भी दृष्टिकोण से विश्वसनीय नहीं माना जा सकता। अतः विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपने निष्कर्ष में प्रेम प्रसंग के बावत आए साक्ष्य को विश्वसनीय माना जाना तथ्यों के विपरीत था, जबकि अभियुक्त का किसी अन्य महिला के साथ किसी भी प्रकार के सम्बन्ध का कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं था। अतः हमारे विचार में अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध हेतुक साबित करने में भी पूर्णतः विफल रहा है।

34- यह सामान्य प्रज्ञा का तथ्य है कि किसी भी अपराधी का यह स्वाभाविक आचरण रहता है कि वह अपराध को खुले तौर पर नहीं करता बल्कि सामान्यतः वह उसे छिपाकर करने का प्रयास करता है ताकि वह अपने आप को उस अपराध में संलिप्त होने से बचा सके। वर्तमान मामले में भी अभियुक्त के पास अनेको अवसर या तरीके हो सकते थे जहाँ वह अपनी पत्नी की हत्या कर सकता था जैसेकि जब वह किसी काम से घर के बाहर जा रही होती या गला दबाकर या जहर देकर या अन्य तरीके से उसकी हत्या की जा सकती थी ताकि उसके द्वारा किया गया आपराधिक कृत्य किसी की जानकारी में न आ सके, जबकि अभियुक्त के द्वारा अपनी पत्नी को

खुले तौर पर जलाकर मारे जाने से उसका आपराधिक कृत्य आसपास के लोगों द्वारा आसानी से जाना जा सकता था। अतः अभियुक्त के द्वारा अपनी पत्नी को जलाकर मारा जाना भी हमारे विचार में विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता है। इसके अलावा जब भी किसी व्यक्ति की जान जोखिम में रहती है या उसे इस बात का अंदेशा होता है कि उसकी जान को खतरा है, तो यह सामान्य मानवीय आचरण है कि वह अपनी जान बचाने की हर सम्भव कोशिश करता है, अतः इस मामले में भी यदि तर्क के लिए अभियोजन का सारा केस सही मान लिया जाए तो भी मृतका के पास इस बात का पर्याप्त अवसर रहा होगा कि वह अभियोजन के द्वारा घटना कारित करते समय उस स्थान से भागकर अपने प्राणों की रक्षा करती जब उसके ऊपर तेल डाला जा रहा था और अपने बचाव के लिए संघर्ष करती या आसपास के लोगों से मदद की गुहार लगाती, ऐसा सम्भव नहीं है कि वह चुप-चाप अपने ऊपर अपने पति से तेल डलवाती रहेगी और इस बात का इंतजार करती रहेगी कि उसका पति तेल डालकर उसे आग लगा दे। इस दृष्टिकोण से भी मृतका की अभियुक्त के द्वारा हत्या किये जाने का विश्वास से परे प्रतीत होता है।

35- वादी पी०डब्लयू०-1 तथा मृतका की माँ ने इस बात को स्वीकार किया है कि उनकी पुत्री ने अभियुक्त के साथ प्रेमविवाह किया था। अतः सामान्यतः प्रेमविवाह वाले मामलों में यह बात विश्वास से परे है कि जिस व्यक्ति ने अपनी पत्नी से प्रेमविवाह किया हो वह उसे प्रताड़ित करे या जलाकर उसकी हत्या करे दे। हालाँकि इस बात की सम्भावना अवश्य हो सकती है कि विवाह हो जाने के पश्चात मृतका को अपने पति से उस तरह का प्यार अथवा सम्मान न मिला हो जिसकी अपेक्षा के अधीन उसने विवाह किया था। विधि व्यवस्था **मंगतराम बनाम हरियाणा राज्य ए०आइ०आर० 2014 सुप्रीम कोर्ट 1782** में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह विधिक अभिमत दिया है कि

"A woman may attempt to commit suicide due to various reasons, such as, depression, financial difficulties, disappointment in love, tired of domestic worries, acute or chronic ailments and so on"

अतः इस बात की सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि मृतका ने उपरोक्त किन्हीं कारणों में से परेशान होकर अपनी आत्महत्या न कर ली हो।

36- पत्रावली के अवलोकन से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी प्रदर्शित होता है कि मृतका ने अभियुक्त से प्रेमविवाह किया था, उसके दो बच्चे हैं जिनमें से एक घटना के समय लड़की 6 वर्ष की और एक लड़का 5 वर्ष का था। अभियुक्त मजदूर वर्ग का है, जो पेण्टर का काम करता है। अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध हेतुक भी साबित नहीं कर पाया है। मृतका के साथ की गयी घटना के पूर्व कथित रूप से की गयी मारपीट की कोई शिकायत अथवा पारिवारिक पंचायत का कोई सबूत पत्रावली पर नहीं है, अतः हमारे विचार में ऐसा कोई कारण प्रतीत नहीं होता कि अभियुक्त मृतका को बिना किसी कारण के जलाकर उसकी हत्या करेगा। इस बिन्दु पर विधि स्थापित हो चुकी है कि संदेह चाहे जितना भी मजबूत हो वह सबूत का स्थान नहीं ले सकता। अतः मात्र शक के आधार पर अभियुक्त को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है।

37- हमारे विचार से यहाँ यह उल्लेखनीय होगा कि इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण साक्षी मृतका की जेठानी रीता थी जो इस बिन्दु पर प्रकाश डाल सकती थी कि जब वह पहली बार मृतका से घायल अवस्था में मिली तो मृतका ने उसे अपने जलने का क्या कारण बताया परन्तु अभियोजन द्वारा मृतका की जेठानी रीता को अभियोजन साक्षी ही नहीं बनाया, इस दृष्टिकोण से भी अभियोजन की कहानी संदेहास्पद हो जाती है और इसका लाभ निश्चित रूप से अभियुक्त के पक्ष में जायेगा।

38- अतः हमारे विचार में विधि-व्यवस्था **शरद बिरदीचन्द शारदा बनाम महाराष्ट्र राज्य (1984) 4 एस0सी0सी0 116** में दिये गये विधिक अभिमत के प्रकाश में अभियोजन अभियुक्त के विरूद्ध परिस्थितियों की श्रंखला को पूर्ण करने तथा अपने द्वारा सबूत के प्रारम्भिक दायित्व को उन्मोचित करने में विफल रहा है, अतः हमारे विचार में विद्वान अवर न्यायालय के द्वारा मात्र धारा 106 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के प्रावधान के आधार पर अभियुक्त को हत्या के अपराध में दोषसिद्ध किये जाने का निष्कर्ष विधि अथवा तथ्यों के विपरीत है। अतः अभियुक्त विनोद पटेल द्वारा योजित अपील स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय दिनाँकित 14.11.2019 अपास्त किये जाने योग्य है।

आदेश

अतः अभियुक्त विनोद पटेल द्वारा योजित अपील संख्या 74/2020, अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं० स्वीकार की जाती है और विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनाँकित 14.11.2019 अपास्त किया जाता है। अभियुक्त को उस पर लगाए गये आरोप अन्तर्गत धारा 302 भा०दं०सं०, मु०अ०सं० 604/2017, थाना चोलापुर, जिला वाराणसी से दोषमुक्त किया

जाता है। अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है, यदि वह किसी अन्य मामले में वांछित न हो तो अविलम्ब रिहा किया जाए। धारा 437-ए दं०प्र०सं० का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।

पत्रावली मय अपीलीय आदेश/निर्णय अवर न्यायालय को अविलम्ब आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।

(2025) 5 ILRA 1907
APPELLATE JURISDICTION
CRIMINAL SIDE
DATED: ALLAHABAD 28.05.2025

BEFORE

THE HON'BLE SANJAY KUMAR SINGH, J.

Criminal Misc. Bail Application No. 13376 of 2025

Jahid Baig @ Jahid Jamal Beg ...Applicant
Versus
State of U.P. ...Opposite Party

Counsel for the Applicant:
Sr. Advocate, Zeeshan Mazhar

Counsel for the Opposite Party:
G.A.

Criminal Law — Bhartiya Nyaya Sanhita, 2023 (Corresponding to Section 306 IPC), Section 108 — Abetment of suicide — Ingredients — Maid found dead in employer's house — Allegation of suicide due to harassment at workplace — No suicide note — No evidence of instigation, conspiracy, or aiding the act — Statements of co-worker and parents of deceased silent on abetment — Delay of five days in lodging FIR — Deceased's last calls with third person (boyfriend) indicate private cause — Mens rea absent — Prima facie case not made out — Bail granted. (Paras 7.1–7.4, 9.1, 9.3, 11.9–11.15)

HELD:
In order to bring a case within the purview of Section 108 BNS, 2023 (corresponding Section 306 IPC), there must be case of suicide and in the commission of the said offence, the person who is said to have abetted the commission of suicide must have played an active role by an act of instigation or by doing certain act to facilitate the commission of suicide. (Para 7.1)

To satisfy the requirement of "instigation", though it is not necessary that actual words must be used to that effect or what constitutes "instigation" must necessarily and specifically be suggestive of the consequence. Yet a reasonable certainty to incite the consequence must be capable of being spelt out. Where the accused had, by his acts or omission or by a continued course of conduct, created such circumstances that the deceased was left with no other option except to commit suicide, in which case, an "instigation" may have to be inferred. (Para 7.2)

-In the light of above mentioned settled law, in case of suicide, a person is liable for abetment if the person has inter alia instigated the deceased for committing suicide or has engaged in any conspiracy for committing suicide or intentionally aided the commission of suicide. (Para 7.4)

Application allowed. (E-14)

List of Cases cited:

1. Mohit Singhal & anr. Vs The St. of Uttarakhand & ors., (2024) 1 SCC 417

2. Jayedeepsinh Pravinsinh Chavda & ors. Vs St. of Guj., (2025) 2 SCC 116

3. Ayyub & ors. Vs St. of U.P. & anr., 2025 Supreme (SC) 289

4. Ramesh Kumar Vs St. of Cg., (2001) 9 SCC 618

5. Rajesh Vs St. of Har. (2020) 15 SCC 359

6. Kamaruddin Dastagir Sanadi Vs St. of Kar. (2024) SCC Online SC 3541

7. Patel Babubhai Manohardas & ors. Vs The St. of Guj., 2025 Live Law (SC)288